5 रु. कोर्ट फीस Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

10रु. कोर्ट फीस Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /१३ निगरानी — R-1752-III/13

१- अनेक सिंह | पुत्रगण भैरो सिंह यादव
२- जयराम सिंह | निवासी ग्राम सिंहपुर [illegible]
३- बृजभान सिंह |
तहसील अशोकनगर, जिला मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थीगण

श्री एस० के० श्रीवास्तव, अभि० द्वारा आज दि. 6-5-13 को प्रस्तुत

6-5-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुध्द

१- मनीराम पुत्र सिरनाम सिंह
२- मुलाबाई विधवा पत्नी सिरनाम सिंह यादव, निवासीगण ग्राम सिंहपुर चांन्दा, तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश । [illegible]

---- प्रतिप्रार्थीगण

6/4/93

निगरानी विरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय अशोकनगर, दिनांकी १८-४-१३, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९, प्र०क्र० ०८/११-१२-अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, विवादित आदेश धारा ४९ भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्ती योग्य है । कानूनन प्रत्यावर्तन वर्जित होने के कारण विवादित आदेश अधिकार रहित होने से निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के का निर्वहन नहीं किया ऐसी स्थिति में विवादित आज्ञा नि[illegible] योग्य है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./1752/तीन/2013 जिला अशोकनगर

अनेकसिंह आदि विरूद्ध मनीराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक:-8/2011-12/अपील में पारित आदेश दिनांक 18/04/2013 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05/8/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	